न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 280/2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/519

दायर दिनांक :– 17.09.2025 निर्णय दिनांक :– 20.04.2026

1. अखाराम पुत्र शीलाराम जाति मेगवाल निवासी बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. घेवरराम पुत्र शीलाराम जाति मेगवाल निवासी बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. नरूराम पुत्र शीलाराम जाति मेगवाल निवासी बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. बगताराम पुत्र शीलाराम जाति मेगवाल निवासी बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. रेखाराम पुत्र शीलाराम जाति मेगवाल निवासी बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. रावताराम पुत्र शीलाराम जाति मेगवाल निवासी बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. जगदीशराम पुत्र चैनाराम जाति मेगवाल निवासी बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. फकीराराम पुत्र चेनाराम जाति मेगवाल निवासी बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. लालूराम पुत्र चैनाराम जाति मेगवाल निवासी बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. सुभाष पुत्र चेनाराम जाति मेगवाल निवासी बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–1.श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री सुभाष विश्नोई अधि. अ.सं. 1 ता 4
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

–:निर्णयः–

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आषय से पेश किया है कि ग्राम बूंगड़ी पटवार क्षेत्र बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलौदी में प्रार्थीगण की खातेदारी की काश्त भूमि खसरा नम्बर 261/1 रकबा 5.0019 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है और प्रार्थीगण अपने परिवार सहित बारह मास निवास करता आ रहा है नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण उक्त खातेदारी अधिकारों के चिपती अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 262 रकबा 4.2006 हैक्टेयर ग्राम बूंगड़ी पटवार हल्का बूंगड़ी तहसील घंटियाली जिला फलौदी में आई हुई है जिसके चिपते ही डामर सड़क मार्ग स्थित हैं। प्रमाणित जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न

Satya..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 261/1 रकबा 5.0019 हैक्टेयर की भूमि एवं उसमें बनी रहवासीय ढाणी में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 262 रकबा 4.2006 हैक्टेयर भूमि में से आना जाना पड़ता हैं। प्रार्थीगण को आने जाने हेतु उक्त रास्ते के आलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है तथा प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में अप्रार्थीगण की भूमि में से आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग लिया जा रहा था लेकिन अब वर्तमान में अप्रार्थीगण के द्वारा पूर्व में उपयोग लिये जा रहे रास्ते को बंद कर दिया है। वर्तमान में प्रार्थीगण को अपनी भूमि में जाने हेतु अन्य कोई रास्ते का विकल्प उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण की भूमि के चिपता डामर सड़क मार्ग चलता है वहा तक पहुंच हेतु प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र नये रास्ते की घोषणा हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया और अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की और से अधिवक्ता श्री सुभाष विश्नोई ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के अधिवक्ता जवाब पेश नहीं करना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 5 पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली ने मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली में बहस सुनी गई।

तहसीलदार घंटियाली की मौका–रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251–क "अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना – (1) जहां–

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिचांई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उनका रामाधान हो जाता है कि

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है,

तो आदेश के द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह के कम से कम तीन फुट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा, जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर,

Satya...
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट में से होकर एक नया मार्ग जो 30 फुट से अधिक चौड़ा नहीं, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को 30 फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिस में से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा किये जाने का अधिकार मंजूर किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा

(2) जहां उपधारा 1 के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में से अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जावेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में से "रास्ता" के रूप में अभिलिखत कर दी जायेगी

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा 1 में से निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में जिस में होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेगे।

इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है–

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 आवेदन की जांच और निपटान– प्रारूप 1 में आवेदन प्राप्त होने पर उप–विभागीय अधिकारी या तो स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा या निरीक्षक भूमि अभिलेख के पद से नीचे के अधिकारी से निरीक्षण कराएगा और प्रभावित व्यक्तियों से आपतियां आंमत्रित करेगा। उप विभागीय अधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने और ऐसी आगे की जांच करने के बाद, जैसा वह आवश्यक समझे यदि सन्तुष्ट हो जाता है कि–

(1) आवश्यकता परम आवश्यकता है और यह केवल सुविधाजनक आन्नद के लिए नहीं है तथा,

(2) विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत से होकर नये रास्ते के मामले में, जिसमें पहुंच के वैकल्पिक साधनों का अभाव साबित हो जाता है, आवेदन को स्वीकार कर सकता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन किया गया –

1. रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता।
2. वैकल्पिक रास्ता मौजूद है अथवा नहीं।
3. नया मार्ग लघुतम रूट है या नहीं।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी, नजरी नक्शा, तहसीलदार घंटियाली की रिपोर्ट आदि का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम बूंगड़ी के खसरा नम्बर 261/1 में पहुंच हेतु रास्ता की मांगी की गई थी। तहसीलदार घंटियाली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उक्त मौका रिपोर्ट समस्त पक्षकारान को जरिये नोटिस सूचित करते हुवे तैयार की गई। प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 261/1 में

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

आवागमन हेतु खसरा नम्बर 262 में से रास्ते हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। खसरा नम्बर 261/1 चिपता खसरा नम्बर 261 के चिपती डामर सड़क चलती है। खसरा नम्बर 261 की जमाबंदी का अवलोकन पर ज्ञात हुआ की प्रार्थीगण खसरा नम्बर 261 के सह खातेदार है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 261 को छोड़कर अन्य पड़ोसी खातेदरों की खातेदारी से रास्ता चाहा गया है। चूंकि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के चिपती डामर सड़क उपलब्ध होने से प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यता होना प्रतीत नहीं होता है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु तीनों बिन्दुओं का विवेचन करने के पश्चात उक्त प्रकरण में रास्ते उपलब्धता एवं आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुवे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya...

(सत्य नारायण [illegible] ए.एस.)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

बाप (फलोदी)